कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 2427/2020 कमल कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.2020 द्वारा याचिकार्थी श्री कमल कुमार शर्मा को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी पीडा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये गए।

याचिकार्थी श्री कमल कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सवाई बडी, सरदारशहर जिला चूरू से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रेवदर जिला सिरोही स्थानान्तरित किया गया था।

याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों के मद्देनजर अपना पदस्थापन राउमावि सेहला/राउमावि सात्यूं अथवा राउमावि सारायण जिला चूरू में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय निर्णय, राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी द्वारा स्वयं को दूरस्थ स्थान पर पदस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में अभिकथन किया गया है तो इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276 भगवान दास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि दूरी के स्थान पर स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता क्योंकि एक लोक सेवक को जहां उसे पदस्थापित किया गया है, वहां कार्य करना होता है। स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न अंग होता है और इससे किसी लोक सेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता।

याचिकार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें राज्य एवं छात्र हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह अपने अधीन राज्य सेवा के कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित करे। जहां तक याचिकार्थी के हृदय सम्बन्धी रोग से पीडित होने के कारण लम्बी दूरी की यात्रा नहीं किये जाने की चिकित्सकीय सलाह का सवाल है तो इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि याचिकार्थी को सिरोही जिले में ब्लॉक मुख्यालय (रेवदर) में ही स्थानान्तरित किया गया है जिससे उन्हें चिकित्सकीय सुविधाओं को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। याचिकार्थी द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण भी किया जा चुका है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी श्री कमल कुमार शर्मा का अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाता है जिसके फलस्वरूप श्री कमल कुमार शर्मा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रेवदर जिला सिरोही में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगे।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/कमल शर्मा/2427/287/2020 दिनांकः 22.06.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1.विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, सरकार, जयपुर।

2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली संभाग, पाली।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सिरोही।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, सिरोही।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रेवदर जिला सिरोही।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री कमल कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य को सूचनार्थ।
11. निजी / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)